(102)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य, राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व निगरानी क0...../13

R-3249-III/13

1. इमरान फारूकी तनय श्री ई0आई0फारूकी
2. रिजवान फारूकी तनय श्री ई0आई0फारूकी
3. कहकशा फारूकी तनय श्री रिजवान फारूकी
4. सहला फारूकी तनय श्री इमरान फारूकी

सभी निवासी नजीराबाद तहसील रघु0नगर जिला सतना म0प्र0---**निगराकारगण**

बनाम

शासन म0प्र0द्वारा हल्का पटवारी लौहरैया तहसील उचेहरा जिला सतना---**गैर निगराकार**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0-1959 विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय सतना के रा0प्र0क0-137/अपील/12-13 मे पारित आदेश दिनांक 22.06.2013

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ में निगराकार निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

निगराकारगणो द्वारा योग्य विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदित आराजी के पूर्व मालिक स्वामी लल्ला/लक्ष्मी तनय भानूदत्त द्वारा उक्त आराजी जरिये रजि0विकय पत्र दिनांक 09.01.67 के आधार पर क्रय कर मौके से कब्जा दखल प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर अपने नाम नामान्तरण रा0प्र0क0-71अ51/70-71 में पारित आदेश दिनांक 17.11.71 के आधार पर प्रमाणित होने के बाद वह पूर्णतः मालिक स्वामी एवं अधिपत्यधारी होने के उपरान्त अपनी आवश्यकतानुसार उक्त आराजी निगराकारगणो को जरिये रजि0विकय पत्र दिनांक 02.08.95 को विकीत किया जाकर अपने सामान मौके से कब्जा दखल एवं अधिपत्य सौंप दिया गया। जिसमें निगराकारगणो द्वारा विकय पत्र के आधार पर अपने नाम नामान्तरण प्रमाणित कराये जाने के उपरान्त आराजी को पूर्णतः कृषि योग्य बनाया जाकर कृषि कार्य कर आबाद हुये। क्योकि उक्त आराजी पूर्व से ही कृषि भूमि थी, किन्तु उक्त आराजी पर भूलवश लगान नियत न होने के कारण निगराकारगणो के पूर्व भूमिस्वामियों द्वारा नायब तहसीलदार अटरा के समक्ष प्रकरण कमांक-11अ74/2000-01 प्रस्तुत किया जाकर लगान निर्धारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिसमें विधिवत इश्तहार का प्रकाशन होने पर गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा लगान निर्धारित न किये जाने के सम्बन्ध मे आपत्ति की गयी, जिसके आधार पर प्रकरण शिकायती के आधार पर कलेक्टर महोदय सतना के समक्ष मूल प्रकरण सुनवाई

Conti.....2

(102)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R3249-II/2013 जिला– सतना

इमरान फारूकी विरूद्ध म०प्र० शासन

(1)	(2)	(3)
18-2-18-	1. आवेदक की ओर से श्री रमेश पाठक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 137/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 22-6-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 07-03-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	